उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-68/2788/पांच-8-2016-म0(270)/2012

लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2406/पांच-8-2012-म0(270)/2012, दिनांक 25-09-2012 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 गौरव कृष्ण की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी के अधीन की गयी। डा0 गौरव कृष्णा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तत्समय कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके थे।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 गौरव कृष्ण, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि इनकी सेवायें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी।

3- डा0 गौरव कृष्ण , चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-09-2012 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

संख्या-68/2788(1)/पांच-8-2016-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।

5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।

6- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी।

8- कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।

9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।